# अध्याय-1

## परिचय

झज्जर हरियाणा राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है। झज्जर जिले की स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई। इससे पूर्व यह रोहतक जिले का हिस्सा था। झज्जर जिला 28°21'31" उत्तरी अक्षांश से 28°50'19" दक्षिणी अक्षांश तथा 76°17'06" पश्चिमी देशांतर से 76°58'15" पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दिल्ली से यह 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके उत्तर में रोहतक जिला तथा दक्षिण में रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले स्थित हैं। इसी प्रकार पश्चिम में दादरी जिला तथा पूर्व में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाएं लगती हैं। झज्जर जिला 1834 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी कुल जनसंख्या 958405 (जनगणना रिपोर्ट झज्जर 2011: 40) है। झज्जर जिले को पांच खंडों (साल्हावास, झज्जर, मातनहेल, बेरी तथा बहादुरगढ़) में बाँटा गया है और इसमें कुल 260 गांव हैं। बहादुरगढ़, झज्जर तथा बेरी इस जिले के प्रमुख नगर हैं। बहादुरगढ़ एक औद्योगिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है तथा बेरी महाभारत कालीन भीमेश्वरीदेवी के मंदिर के लिए विख्यात है।

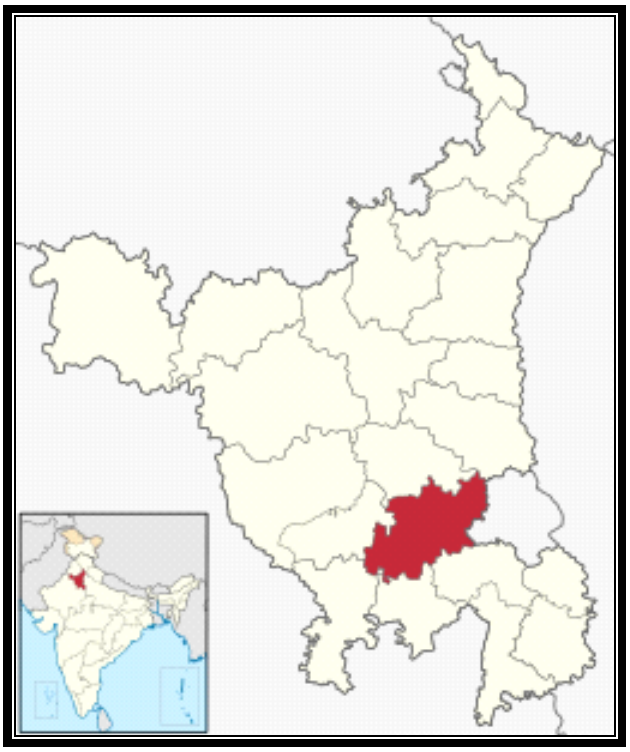

**चित्र 1.1: झज्जर जिला**

भौगोलिक दृष्टि से झज्जर जिला सिंधु-गंगा मैदान के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम में बांगर मैदान तथा दक्षिण में अरावली की पहाड़ियां स्थित हैं। जलोढ़ मैदानों का निर्माण प्रातिनूतन काल में विवर्तनिक उठानों के फलस्वरूप हुआ (सिंह 1988) है। भू-आकृति विज्ञान के अनुसार इन्हें तीन उप भागों में बांटा गया है- (1) उत्तर पूर्व उच्च मैदान (2) झज्जर निम्न भूमि (3) रेतीला मैदान। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 710 फीट है। इस क्षेत्र की कुल भूमि में से 3902.68 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र से घिरी हुई है तथा कृषि योग्य भूमि 16,090 हेक्टेयर है। साहबी तथा कृष्णावती झज्जर की दो मौसमी नदियां हैं। साहबी इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। झज्जर में मुख्यतः नहरों तथा कुओं से सिंचाई की जाती है। गेहूं, धान, जौ,बाजरा तथा सरसों आदि यहां की प्रमुख फसलें हैं। जिले की वार्षिक वर्षा 542 मिलीमीटर है तथा 80% वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है (जनगणना रिपोर्ट झज्जर: 10)। वर्षा का वितरण पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक है।

झज्जर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में कहा जा सकता है कि यहां पर विभिन्न संस्कृतियों का दीर्घ काल तक निवास रहा। झज्जर में बादली क्षेत्र का सर्वप्रथम पुरातात्विक अन्वेषण का कार्य 1970 के आरंभ में सिलक राम ने किया (अशोक कुमार 1990-91: 7)। जिससे स्पष्ट हो गया कि यहां प्राचीन समय में विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते थे। खंडों के आधार पर किए गए सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि यहां प्रथम बार निवास करने वाली संस्कृति आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी। झज्जर जिले के प्राक् हड़प्पाकालीन (आरंभिक हड़प्पाकालीन) पुरास्थलों की सांस्कृतिक समानता कालीबंगा-1 अथवा सोथी-सीसवाल संस्कृति से मेल खाती हैं (सूरजभान 1975: 120-125)। बादली के उत्खनन से आरंभिक हड़प्पाकाल की आरंभिक सीसवाल संस्कृति तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति प्रकाश में आई (ठाकरान और अमर सिंह 2008: 167)। झज्जर जिले के विभिन्न खंडों में उत्तर हड़प्पाकालीन पुरास्थल भी प्रतिवेदित हैं (ढाका 1990-91, कटारिया 1989-90, अशोक कुमार 1990-91, रायसिंह कादियान 1987-88, राहड़ 1991-92)।

उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के पश्चयात यहाँ चित्रित धूसर संस्कृति प्रकाश में आई। बहादुरगढ़ खंड में राजीव कटारिया, बेरी खंड में रायसिंह कादियान, झज्जर खंड में जगदीश सिंह राहड़ और दक्षिणी साहबी नदी घाटी में राजेश कुमार द्वारा चित्रित धूसर संस्कृति के पुरास्थल प्रतिवेदित हैं। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक यौधेयों का शासन रहा। सुरहा, खेड़ी जाट, जहांगीरपुर आदि पुरास्थलों से कुषाण कालीन सांस्कृतिक अवशेष प्रतिवेदित हैं (अशोक कुमार 1990-91: 10-

12)। प्रथम-द्वितीय शताब्दी में यौधेय कुषाणों से पराजित हो गये और इस क्षेत्र पर कुषाणों का आधिपत्य हो गया। झज्जर में सुरहा, कबलाना, रायपुर आदि पुरास्थलों से कुषाण शासक हुविष्क और वासुदेव के सिक्के प्रतिवेदित हैं जो इस क्षेत्र में कुषाण साम्राज्य के शासन को प्रमाणित करते हैं। कुषाण शासकों ने उत्तर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। वासुदेव (145-176 ई.) के शासनकाल में कुषाणों की शक्ति क्षीण होती चली गई और इसी बीच यौधेय शक्तिशाली हो गए। महाभारत और वृहत्संहिता में यौधेयों को युद्ध प्रेमी गण कहा गया है। यौधेय एक गणतंत्र था तथा ये लड़ाकू थे। युद्ध में निपुण होने के कारण इनका नाम यौधेय पड़ा। अष्टाध्यायी में यौधेयों के संघ को आयुध जीवी संघ कहकर पुकारा है। यौधेयों का शासन काल हरियाणा में (150 ईसा पू. से 350 ई.) तक रहा और यौधेय गण के सिक्के ढ़ालने के सांचे बड़ी मात्रा में रोहतक में खोखराकोट टीले से मिले हैं (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 20)। झज्जर जिले में यौधेय गण के सिक्कों का एक संग्रह (43 सिक्के) बिसाण गाँव से प्रतिवेदित हैं (मनमोहन कुमार 1991:79-98)। शक्तिशाली यौधेय गण ने उत्तर भारत तथा मध्य देश से कुषाणों को खदेड़ा और चौथी शताब्दी ई. के मध्य में यौधेयों की शक्ति कम हो गई। चौथी शताब्दी ई. के मध्य में यौधेय समुद्रगुप्त से पराजित हुए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ-लेख में वर्णन मिलता है कि यौधेयों ने समुद्रगुप्त की सार्वभौमिक सत्ता को स्वीकार कर लिया। बालादित्य ने 530 ई. में हूणों को पराजित किया तथा हूणों ने इस क्षेत्र के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक क्षति पहुंचाई। इसके पश्चात् स्थानीश्वर के पुष्यभूति शासकों के उदय के बाद इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। सातवीं शताब्दी के आरंभ में यह क्षेत्र हर्षवर्धन के नियंत्रण में था (श्रीवास्तव 2005-06: 475)। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र का वर्णन किया है। सातवीं शताब्दी के अंत तक कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया परंतु यशोवर्मन कश्मीरी शासक ललितादित्य मुक्तापिड़ से परास्त हो गया और यमुना से लेकर कालका तक का क्षेत्र कश्मीरी राजतंत्र के नियंत्रण में आ गया। ललितादित्य शासन को संभालने में असमर्थ रहा तथा प्रतिहार शासक वत्सराज ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया किंतु वह भी इस क्षेत्र को लंबे समय तक इस पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहा। प्रतिहार शासक वत्सराज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव तथा पाल शासक धर्मपाल से पराजित हो गया। यह ऐतिहासिक सत्य है कि धर्मपाल ने कन्नौज में दरबार का आयोजन किया जिसमें श्रीकंठ जनपद के शासक भी विद्यमान थे जिससे प्रमाणित होता है कि इस क्षेत्र पर पाल शासक का आधिपत्य रहा। कुछ समय बाद ही वत्सराज के बेटे नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित

कर इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। पेहवा अभिलेख (882 ई.) में वर्णित है कि सिरसा और दिल्ली पर महाराज भोजदेव का शासन था। इससे स्पष्ट है कि इस समय हरियाणा क्षेत्र प्रतिहार साम्राज्य का हिस्सा था। पेहवा अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि प्रतिहार शासक महिपाल के शासनकाल में तोमर उनके सामंत थे किंतु महिपाल की मृत्यु के पश्चात तोमर स्वतंत्र हो गए और उन्होंनें यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।

रोहतक तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर तोमर राजपूतों का आधिपत्य था जो ढ़िल्लिका (आधुनिक दिल्ली) से हरियाणा पर शासन करते थे (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 1)। फेन्शिव के सेटेलमेंट रिपोर्ट जो कि स्थानीय अध्ययन पर आधारित थी। उसमें यह वर्णन मिलता है कि नवीं और दसवीं शताब्दी ई. में बड़ी संख्या में राजपूत तथा जाट जाति के लोग इस क्षेत्र में आकर बसे तथा उन्होंने निर्जन वनों में गांव बसाए तथा बसे हुए गांवो पर अधिकार कर लिया (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 21)। जब गजनवी ने उत्तर-पश्चिम की ओर से आक्रमण किया उस समय हरियाणा पर दिल्ली से तोमर राजपूतों का शासन था। 1020 ई. में लाहौर पर गजनवी का अधिकार हो गया तथा इस समय तक दिल्ली के तोमरो और लाहौर के गजनवी ने एक दूसरे पर कोई आक्रमण नहीं किया एवं लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक मुस्लिम और राजपूत दोनों का अस्तित्व साथ-साथ बना रहा। यह स्थिति तब परिवर्तित हुई जब लाहौर गौरी के हाथों में आ गया और दिल्ली के तोमरों को चाहमान शासकों ने पराजित कर दिया (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 21-22)।

10 वीं शताब्दी में तोमरो का संघर्ष चाहमानों से हुआ और अजमेर के चाहमानों का शासन स्थापित हुआ। हालांकि उनके साम्राज्य के कुछ हिस्सों में तोमर चाहमानों के सामंत भी रहे। 12 वीं शताब्दी के अंत में चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय दिल्ली का एक शक्तिशाली शासक था। चाहमान और गहडवालों की आपसी शत्रुता के कारण मुहम्मद गौरी को 1191 ई. में पृथ्वीराज तृतीय पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। तराईन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज तृतीय ने मुहम्मद गौरी को पराजित किया, किंतु 1192 ई. में मुहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हराने के लिए आया और उसने हरियाणा के कुछ हिस्से पर आधिपत्य करते हुए महत्वपूर्ण कस्बे महम को नष्ट कर दिया (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 22)। इस समय तक झज्जर दिल्ली के आसपास का निर्जन वन था और आस-पास के क्षेत्र एवं गांव युद्ध में तबाह हो गए (जनगणना रिपोर्ट झज्जर 2011: 7)। 1192 ई. में तराइन (करनाल जिले में स्थित आधुनिक तरावड़ी) के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय हार गया तथा इस पराजय ने

भारतीय भूमि में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त किया। इस पराजय के बाद मुहम्मद गौरी का दिल्ली पर पूर्ण नियंत्रण हो गया और इसी के साथ भारत में विदेशी शासन की स्थापना हुई। 1206 ई. में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। रोहतक और झज्जर दिल्ली के समीपवर्ती होने के कारण शासन के लिए होने वाले संघर्षों से प्रभावित होता रहा (जनगणना रिपोर्ट झज्जर 2011: 7)।

फिरोजशाह तुगलक (1351-88 ई.) ने सतलुज से झज्जर कस्बे तक एक नहर का निर्माण करवाया (जिला गज़ेटियर रोहतक 1970: 23)। मुगल काल के दौरान झज्जर के क्षेत्र में जाटों, सिक्खों, मराठों तथा राजपूतों के मध्यम निरंतर संघर्ष जारी रहा (जिला गज़ेटियर रोहतक 1970: 23)। मुगल काल के पतन के बाद भी इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। फर्रूखसियर ने झज्जर क्षेत्र को अपने मंत्री रुक्खउद्दीन को सौंप दिया तथा वह भी इस क्षेत्र को संभालने में असमर्थ रहा और उसने इस क्षेत्र को फरुखनगर के नवाब को सौंप दिया (जनगणना रिपोर्ट झज्जर 2011: 7)। दूसरी तरफ इस समय तक मराठा, होल्कर और सिंधिया अपने-अपने राज्यों को विस्तारित करने में लगे हुए थे। इसी दौरान रघुनाथ राव और मल्हार राव होल्कर ने मराठा सेना की सहायता से नवाब पर आक्रमण कर दिया और भारी मात्रा में कर भी लगाए।

सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने फरुखनगर के नवाब को हराया और उसको इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए बाध्य किया (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 24)। कुछ समय बाद झज्जर वाल्टर रिंहर्ट के हाथों (बेगम समरू के पति) में आ गया। शाह आलम ने नजीब खान को मनोनीत किया और नजीब खान ने बेगम समरू को सरधाना, गोहाना, महम, रोहतक और खरखौदा सौंप दिया। 1785 से 1803 ई. के बीच रोहतक के भिन्न-भिन्न भागों में अलग-अलग शासक वर्ग रहे।

1780-81 ई. में जॉर्ज थॉमस भारत आया। वह कुछ समय तक बेगम समरू की सेवा में कार्यरत रहा तथा बाद में अप्पा कांडी राव ने उसे पुत्र के रूप में गोद ले लिया। अप्पा कांडी राव मराठा पेशवा महाराजा सिंधिया के नेतृत्व में सामंत नियुक्त थे। महाराजा सिंधिया की आज्ञा पाकर अप्पा कांडी राव ने झज्जर, बेरी, मांडोठी, पटौद का परगना जॉर्ज थॉमस को दे दिया तथा बदले में जरूरत पड़ने पर सिंधिया ने सैन्य सहायता की मांग की। जॉर्ज थॉमस से झज्जर को मुख्यालय बनाया और सुरक्षा की दृष्टि से जॉर्जगढ़ किले का निर्माण करवाया (आधुनिक जहाजगढ़ अथवा हुसैनगंज) का निर्माण करवाया (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 25)। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित होकर मराठों ने उसे पानीपत, सोनीपत और करनाल का परगना दे दिया। अपनी बढ़ती हुई शक्ति को

देखकर जॉर्ज थॉमस की महत्वाकांक्षाएं भी और बढ़ गई। उसने हांसी पर अधिकार कर लिया और हांसी पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने महम सहित 800 गांवों पर अधिकार जमा लिया। झज्जर में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद वह संपूर्ण हरियाणा पर शासन करना चाहता था (जिला गजेटियर रोहतक 1910: 77)। इसके बाद उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा उसने मराठों, सिक्खों और राजपूतों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। सिंधिया को थॉमस की प्रगति से ईर्ष्या हुई और उसने जनरल एम. पैरोल गंगा (दोआब के गवर्नर) को 1801 ई. में आक्रमण का आदेश दिया (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 25)। मराठों ने जल्द ही उसके द्वारा अधिकृत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जॉर्ज थॉमस जॉर्जगढ़ के किले को मुक्त कराना चाहता था किंतु अपने ही अधिकारियों के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण उसे पराजय का सामना करना पड़ा और वापस हांसी लौटना पड़ा (जनगणना रिपोर्ट झज्जर 2011)। जॉर्ज थॉमस की पराजय के दो वर्ष के अंदर ही उत्तरी भारत में सिंधिया की बढ़ती हुई शक्तियों को देखते हुए ब्रिटिश सेना ने जनरल लेक के नेतृत्व में द्वितीय मराठा युद्ध लड़ा। इस युद्ध में मराठों के द्वारा अधिकृत क्षेत्र तथा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। 1803 में मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 25)। जनरल लेक का मत था कि यमुनापार के बड़े क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी नहीं संभाल पाएगी इसलिए उसने दुजाना, झज्जर, बहादुरगढ़, पटौदी, जींद और कैथल रियासतों को मंत्रियों को सौंप दिया (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 25)।

जनरल लेक ने बेरी का क्षेत्र दुजाना के नवाब को सौंप दिया तथा झज्जर की नवाबी निजामत अली खान को सौंप दी। बहादुरगढ़ का क्षेत्र नवाब निजामत अली खान के भाई नवाब इस्माइल खान को सौंप दिया तथा बाद में उसने झज्जर के प्रशासन की जिम्मेदारी अपने पुत्र फैज मुहम्मद खान को सौंप दी। फैज मुहम्मद ने झज्जर के विकास में रुचि दिखाई। उसने झज्जर में इमारतों का निर्माण करवाया। उसी समय झज्जर में नमक बनाने का काम शुरू करवाया गया जिससे बहुत से निर्जन गांव पुनः बसने लगे। उसने बादली में एक बांध का भी निर्माण करवाया। उसके पौत्र अब्दुर्रहमान खान ने जिहाँनारा गार्डन में एक महल का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त उसने छुछकवास में एक भवन तथा तालाब का भी निर्माण करवाया (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 26)।

1857 में रोहतक के कलेक्टर ने नवाब से आग्रह किया कि वह क्रांतिकारियों के दमन में उसकी सहायता करे। लेकिन सम्राट बहादुरशाह चाहता था कि वह क्रांतिकारियों की सहायता करे,

इसलिए नवाब को क्रांतिकारियों के समर्थन में सेना भेजनी पड़ी (जनगणना रिपोर्ट झज्जर 2011: 8)। ब्रिटिश सेना ने शीघ्र ही दिल्ली पर अधिकार कर लिया और नवाब को 18 अक्टूबर 1857 को ब्रिटिश जनरल लारेंस के समक्ष छुछकवास में आत्मसमर्पण करना पड़ा तत्पश्चात नवाब को लाल किले के सामने फांसी दे दी गई। सतलुज से लेकर यमुना तक के लोगों ने 1857 के विद्रोह के प्रति सहानुभूति दिखाई (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 26)। रोहतक जिले में बड़ी संख्या में रांघड़ और जाट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजीमेंट में काम कर रहे थे वे ब्रिटिश मालिकों से पृथक हो गए (जिला गजेटियर रोहतक1970: 26)। इस बात को ध्यान में रखते हुए रोहतक के कलेक्टर जॉन एडम लोच ने अवकाश पर गए सभी सैनिकों को तत्काल जिला मुख्यालय बुलाया। झज्जर के नवाब ने कलेक्टर के आदेश पर घुड़सवार रोहतक भेज दिए। लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे तथा इस समय सम्राट बहादुरशाह के दूत तफज्जुल खान सेना की एक टुकड़ी लेकर रोहतक आया। इससे कलेक्टर जॉन एडम लोच की मुश्किलें और भी बढ़ गई। वह उसे हराने में असमर्थ रहा तथा वह थानेदार भूरे खान के साथ गोहाना भाग गया (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 27) तथा उसके साथ ही अन्य ब्रिटिश अधिकारी भी मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। सेना की टुकड़ी ने शासकीय रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया तथा कस्बे के धनवान व्यक्तियों को लूटा। तफज्जुल खान ने सांपला पर भी आक्रमण कर दिया तथा यूरोपियन लोगों की इमारतें नष्ट कर दी (जिला गजेटियर रोहतक 1970: 27)। इस समय सभी कानून और आदेश लुप्त हो गए एवं रांघडों ने अपना झंडा फहरा दिया।

1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात झज्जर को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधिकार में ले लिया गया। उसके पश्चात सभी प्रांतों को पुनर्गठित किया गया। झज्जर को एक नया जिला बनाया गया और दादरी एवम् नारनौल क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया गया परंतु 1860 में इससे जिले का दर्जा छीन लिया गया तथा पुनः रोहतक जिले को एक तहसील बना दिया गया (जनगणना रिपोर्ट झज्जर 2011: 08)। 1857 के विद्रोह में सम्मिलित जागीरदारों को ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण दण्डित किया गया तथा इसी कारण रोहतक जिले (झज्जर) को किसी भी विकासशील कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया।

मार्च 1919 में महात्मा गांधी के आह्वान पर रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने हेतु रोहतक, सोनीपत, झज्जर तथा बहादुरगढ़ के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत

आजाद हुआ और झज्जर रोहतक जिले की एक तहसील बनकर रह गया। 15 जुलाई 1997 में झज्जर को पुनः जिला बना दिया गया।

## 1.2: शोध-समस्या

साल्हावास खंड के उत्तर में जलोढ़ मैदान, पश्चिम में थार मरुस्थल तथा दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। सरस्वती-दृषद्वती नदियाँ उपजाऊ भूमि के लिए जानी जाती हैं। सरस्वती-दृषद्वती नदियों ने आघ-ऐतिहासिक लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन नदियों ने प्रथम कृषक समूह को कृषि योग्य भूमि एवं सिंचाई हेतु जल प्रदान किया। इस नदी घाटी में आघ-ऐतिहासिक पुरास्थल बड़ी संख्या में मिलते हैं किंतु दक्षिणी हरियाणा में विशेषकर अरावली की पहाड़ियों तथा अर्धशुष्क रेतीले क्षेत्र में भी प्रथम कृषक संस्कृति के पुरास्थल मिलते हैं। ये पुरास्थल छोटे एवं ग्रामीण स्वरूप के हैं किंतु प्रश्न यह उठता है कि आघ-ऐतिहासिक संस्कृति के लोग इस अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में आकर क्यों बसे तथा इन पुरास्थलों का स्वरूप क्या रहा होगा? इस शोध-समस्या के समाधान हेतु साल्हावास खंड को चुना गया है क्योंकि यह क्षेत्र अरावली कि पहाड़ियों, जलोढ़ मैदान के दक्षिण में तथा रेतीले क्षेत्र में स्थित है।

## 1.3: अध्ययन-क्षेत्र

इस लधु-शोध ग्रंथ के लिए झज्जर जिले के साल्हावास खंड को अध्ययन के लिए चुना गया है। यह 28°28'51" उत्तरी अक्षांश से 28°31'8" दक्षिणी अक्षांश तथा 76°27'59" पश्चिमी देशांतर से 76°40'21" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। साल्हावास खंड के पूर्व में झज्जर खंड, पश्चिम में मातनहेल खंड, उत्तर में झज्जर खंड तथा दक्षिण में रेवाड़ी जिला स्थित है। साल्हावास खंड झज्जर जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर की दूरी पर तथा राष्ट्रीय राजधानी से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्य राजमार्ग एस एच 22 इस खंड से होकर दिल्ली की ओर निकलता है। साल्हावास खंड की कुल जनसंख्या 81,061 है। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 42,206 तथा महिलाओं की जनसंख्या 37,855 है (जनगणना रिपोर्ट झज्जर 2011: 10)। साल्हावास खंड में कुल 38 गांव है। साल्हावास खंड 20066 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा कुल भूमि में से 85.23% कृषि योग्य भूमि है। यह खंड नदियों द्वारा सिंचित मैदानी भाग तथा शुष्क एवं रेतीले टीलों के मध्य स्थित है। पश्चिमी यमुना नहर के जल से

सिंचाई की जाती है। जल निकासी के लिए नाला संख्या 8 का निर्माण किया गया है जो आगे जाकर भिंडावास झील में मिल जाता है।

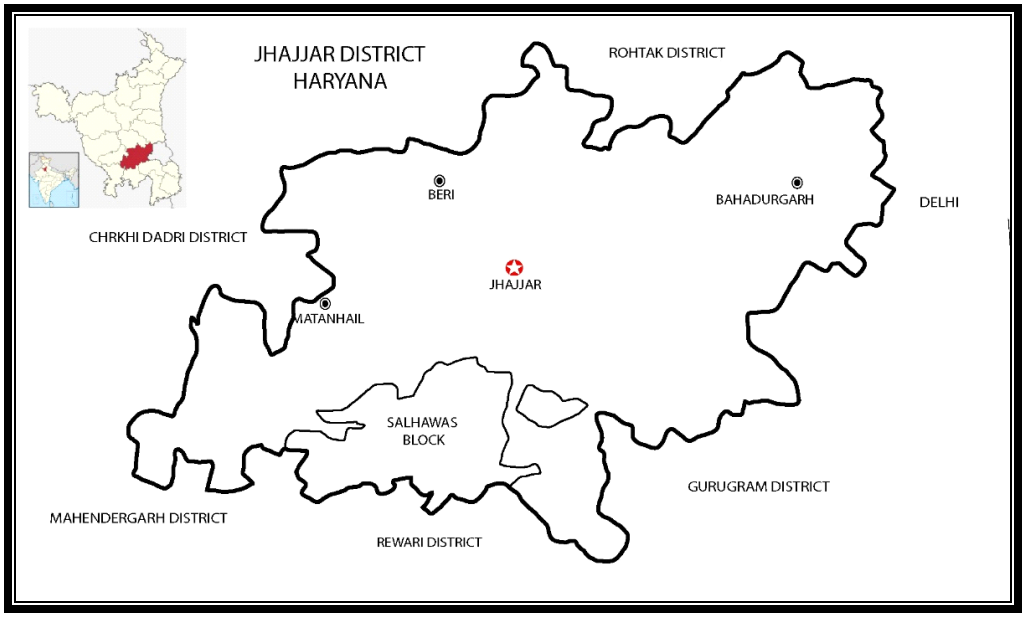


**चित्र 2: साल्हावास खण्ड (जिला झज्जर)**

## 1.4: पूर्ववर्ती शोध कार्य

साल्हावास खंड ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम साल्हावास खंड का गाँव से गाँव का सर्वेक्षण महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के एम.फिल.शोधार्थी सुरेंद्र सिंह ढाका ने 1990-91 में किया। उन्होंनें सर्वेक्षण के दौरान 20 पुरास्थल प्रतिवेदित किए, जिनमें से एक पुरास्थल उतर हड़प्पाकालीन, दो पुरास्थल ओ.सी.पी और अन्य सत्रह पुरास्थल पूर्व मध्यकालीन संस्कृति से सम्बन्ध रखते हैं (ढाका 1990-91: 13)। बी.बी.लाल ने बहादुरगढ़ में एक पुरास्थल का सर्वेक्षण किया तथा यहाँ से चित्रित धूसर संस्कृति के मृदभांड मिले। 1970 के आरंभ में सीलकराम ने बादली-1 और सुरहा दो पुरास्थल प्रतिवेदित किये (अशोक कुमार 1990-91: 7)। इस क्षेत्र में हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण कार्य किया जिससे आरंभिक ऐतिहासिक सामग्री तथा मोहनबाड़ी मंदिर के अवशेष प्रकाश में आए (IAR 1978-79)। पुरातात्विक शाखा दिल्ली सर्किल ने दक्षिणी हरियाणा के पुरातात्विक पुरास्थलों की खोज की (IAR 1981-82: 14-15)। झज्जर जिले के बहादुरगढ़, बेरी, झज्जर, मातनहेल और साल्हावास खंडों के सर्वेक्षण का कार्य महर्षि दयानंद

विश्वविद्यालय के एम.फिल शोधार्थियों ने किया गया। बेरी ब्लॉक का सर्वेक्षण एम.फिल शोधार्थी राय सिंह कादियान ने (1987-88) तथा बहादुरगढ़ ब्लॉक का सर्वेक्षण राजीव कटारिया ने (1989-90) ने किया। मातनहेल ब्लॉक का जय नारायण ने (1990-91), बादली क्षेत्र का सर्वेक्षण अशोक कुमार ने (1990-91) और झज्जर खंड का सर्वेक्षण जगदीश सिंह राहड़ (1991-92) ने किया। इन सर्वेक्षणों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में बादली (ठाकरान और अमर सिंह 2009: 165-171 और 2010: 208-13) और लोहट का उत्खनन (ठाकरान और अमर सिंह: पर्सनल कम्युनिकेशन) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।

**1.5: शोध-उद्देश्य**

शोध कार्य के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. शोध कार्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के भू-दृश्य एवं पारिस्थितिकी का अध्ययन करना।

2. पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक पुरास्थलों की संस्कृति के उद्भव, विकास के विषय में अध्ययन करना।

3. पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक कालीन पुरास्थलों की आवास योजना का अध्ययन करना।

4. इस क्षेत्र की पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक संस्कृतियों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करना।

**1.6: शोध-विधि**

1.साल्हावास खंड के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों का सर्वेक्षण किया। मृदभांड एवं अन्य सांस्कृतिक सामग्री का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया।

2. पुरास्थलों के स्वरूप, एक पुरास्थल से दूसरे पुरास्थल का संबंध, क्षेत्रीय केंद्रों, शहरी केंद्रों, ग्रामीण एवं छोटे पुरास्थलों की पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं विश्लेषण किया।

3. शोध से संबंधित सामग्री चित्रों, मानचित्रों, प्रकाशित एवं अप्रकाशित रिपोर्ट तथा लघु शोध-प्रबंध के संग्रह हेतु विभिन्न संग्रहालयों एवं विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का दौरा किया।

4. उत्खनित पुरास्थलों बादली और लोहट से प्राप्त सांस्कृतिक सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन किया।

## 1.7: अध्याय-विभाजन

### अध्याय-1: परिचय

पहला अध्याय परिचय है जिसमें झज्जर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अध्ययन-क्षेत्र, पूर्ववर्ती शोध कार्य, शोध-उद्देश्य और शोध-विधि के विषय में वर्णन किया गया है।

### अध्याय-2: भौगोलिक पृष्ठभूमि

दूसरे अध्याय में साल्हावास खंड की भौगोलिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया है। इसमें खंड की भूगर्भिक विशेषताओं, स्थलाकृति, जलवायु, नदियों, मृदा, कृषि-व्यवस्था, सिंचाई-व्यवस्था, पशुपालन और वनस्पति एवं जीव जंतुओं आदि के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है।

### अध्याय-3: सर्वेक्षण

तीसरे अध्याय में साल्हावास खंड के गांव के सर्वेक्षण के फलस्वरूप प्रकाश में आए प्रत्येक पुरास्थल के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है जिसमें पुरास्थलों की अवस्थिति, स्थिति और पुरास्थल की वर्तमान दशा का वर्णन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त पुरास्थलों से प्राप्त सांस्कृतिक सामग्री के आधार पर पुरास्थलों का कालक्रम भी निर्धारित किया गया है।

### अध्याय-4: आवास योजना

चौथा अध्याय पुरास्थलों की आवास-योजना का वर्णन करता है। इस अध्याय में आरंभिक हड़प्पाकाल, उत्तर हड़प्पाकाल तथा पूर्व मध्यकाल की संस्कृतियों की आवास योजना का अध्ययन पुरास्थलों के क्षेत्रफल, मृदा, स्वरूप तथा जनसंख्या के आधार पर किया गया है जिसमें प्रत्येक पुरास्थल के ज्ञात आकार, अज्ञात आकार, औसत आकार और अनुमानित आकार का वर्णन किया गया है।

### अध्याय-5: सांस्कृतिक पुरावशेषों का अध्ययन

पांचवा अध्याय वर्तमान शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षित पुरास्थलों की सांस्कृतिक सामग्री का वर्णन करता है। इस अध्याय में आरंभिक हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन तथा पूर्व मध्यकालीन पुरास्थलों की मृदभांड-परंपरा, पाषाण निर्मित वस्तुओं, कांचली मिट्टी से निर्मित वस्तुओं और पकी मिट्टी से निर्मित

वस्तुओं का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरे उत्खनित पुरास्थलों से प्राप्त सांस्कृतिक सामग्री के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है।

**अध्याय-6: सांस्कृतिक परिवर्तन**

छठा अध्याय पुरातात्विक सर्वेक्षण के फलस्वरूप प्रकाश में आई संस्कृतियों के उद्भव, विकास एवं पतन को दर्शाता है। इस अध्याय में प्रत्येक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया है जिसमें एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में आए परिवर्तनों, उनमें व्याप्त समानता एवं विकास को भी देखा जा सकता है।

**अध्याय-7: सारांश और निष्कर्ष**

अंतिम अध्याय निष्कर्ष से जुड़ा हुआ है। इसमें लघु शोध प्रबंध की शोध समस्या पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए शोध कार्य के परिणाम पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची, परिशिष्ट और चित्र भी दिए गए हैं।